



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद विकास क्षेत्र की जी.आई.एस. वेस्ट मुरादाबाद महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार की गयी है। प्राधिकरण बोर्ड की 127 वीं बोर्ड बैठक दिनांक : 03.01.2022 के मद सं.-127/8(3) में उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः जन-सामान्य / व्यक्ति / संस्था से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति / सुझावकर्ता अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग, (प्रथम तल) में दिनांक : 25.03.2022 से 24.04.2022 (30 दिवस) के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस पर 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुरादाबाद महायोजना-2031 (प्रारूप) वेबसाइट www.mdamoradabad.org एवं निम्नलिखित प्रदर्शनी स्थलों पर भी उपलब्ध रहेगी:-

1. मु.वि.प्रा. कार्यालय दिल्ली रोड, प्रथम तल नियोजन अनुभाग।
2. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कार्यालय प्रथम तल एम.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, नवीन नगर, मुरादाबाद।
3. आयुक्त कार्यालय, मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद।
5. नगर आयुक्त, कार्यालय मुरादाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यालय मुरादाबाद।
7. उप जिलाधिकारी, कार्यालय तहसील सदर।
8. उप जिलाधिकारी, कार्यालय बिलारी।
9. उप जिलाधिकारी, कार्यालय कांठ, मुरादाबाद में दिनांक : 15.03.2022 से प्रदर्शित किया जाएगा।

मुरादाबाद महायोजना-2031 प्रारूप पुस्तिका रु. 600.00 के मूल्य पर प्राधिकरण कार्यालय से दिनांक 25.03.2022 से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

उपाध्यक्ष, मु.वि.प्रा. मुरादाबाद



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद विकास क्षेत्र की जी.आई.एस. वेस्ट मुरादाबाद महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार की गयी है। प्राधिकरण बोर्ड की 127 वीं बोर्ड बैठक दिनांक : 03.01.2022 के मद सं.-127/8(3) में उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः जन-सामान्य / व्यक्ति / संस्था से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति / सुझावकर्ता अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग, (प्रथम तल) में दिनांक : 25.03.2022 से 24.04.2022 (30 दिवस) के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस पर 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुरादाबाद महायोजना-2031(प्रारूप) बेवसाइट www.mdamoradabad.org एवं निम्नलिखित प्रदर्शनी स्थलों पर भी उपलब्ध रहेगी:-

1. मु.वि.प्रा. कार्यालय दिल्ली रोड, प्रथम तल नियोजन अनुभाग।
2. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कार्यालय प्रथम तल एम.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, नवीन नगर, मुरादाबाद।
3. आयुक्त कार्यालय, मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद।
5. नगर आयुक्त, कार्यालय मुरादाबाद।
6. बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यालय मुरादाबाद।
7. उप जिलाधिकारी, कार्यालय तहसील सदर।
8. उप जिलाधिकारी, कार्यालय बिलारी।
9. उप जिलाधिकारी, कार्यालय कांठ, मुरादाबाद में दिनांक : 15.03.2022 से प्रदर्शित किया जाएगा।

मुरादाबाद महायोजना-2031 प्रारूप पुस्तिका रु. 600.00 के मूल्य पर प्राधिकरण कार्यालय से दिनांक 25.03.2022 से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

उपाध्यक्ष, मु.वि.प्रा. मुरादाबाद